(18)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी-6271/2018/भोपाल/भू.रा. प्र.कं.-

1-पन्नालाल पुत्र किशनलाल

2-घीसीलाल पुत्र किशनलाल
निवासी ग्राम परवलिया सानी
तहसील हुजूर जिला भोपाल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1-नारायण पुत्र रामचरण

2-श्रीमति लीलाबाई पत्नी स्व. छोटेराम

3-कमलेश पुत्र स्व. छोटेराम

4-विकास पुत्र स्व. छोटेराम
नाबालिग द्वारा संरक्षिका
माँ- श्रीमति लीलाबाई
निवासीगण-ग्राम परवलिया सानी
तहसील हुजूर जिला भोपाल ..... अनावेदकगण

के माध्यम

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक-664/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2018 से दुखी एवं क्षुब्ध होकर आवेदकगण यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं ठोस आधारों पर माननीय महोदय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है :-

तथ्य

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 06271/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-8-19	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का ग्राह्यता के बिन्दु पर अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के द्वारा प्रकरण क्रमांक 664/07-08/अपील में पारित आदेश दिनांक 02-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । मूल नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसे अस्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 02-08-2018 को आदेश पारित कर अस्वीकार किया । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में प्रकाशित हुआ । जिसके तहत संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अनुसार द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा आवेदन पत्र संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व न किया गया हो । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी दिनांक 05-11-2018 को संशोधन अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्त संशोधन अधिनियम के आधार पर इस निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाना विधि अनुकूल नहीं । निगरानी याचिका अस्वीकार की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (इकबाल सिंह बैंस) 21/8/19 अध्यक्ष	